राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांकः एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/18/180093-429 जयपुर, दिनांकः 22/9/2022

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,

विषय : विभागीय स्थानान्तरण आदेशों पर स्थगन प्राप्त कर कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को कार्यरत रखने के संबंध में।

प्रसंग : पूर्व पत्र क्रमांकः एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/18/57264-569 दिनांक 18.04.2022 एवं 139269-79 दिनांक 01.08.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभाग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों द्वारा विगत वर्ष 2021 में विभिन्न विभागीय स्थानान्तरण आदेशों पर माननीय न्यायालय/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से स्थगन प्राप्त कर कार्यरत रहे हैं। उक्त वादकरणों में पारित स्थगन/निर्णयों की पालना में विभाग द्वारा संबंधित प्रभावित कार्मिकों के आलौच्य स्थानान्तरण आदेशों को विभिन्न आदेशों द्वारा निरस्त किये जा चुके है। तदुपरांत स्वीकृत पद से अधिक पदस्थापित कार्मिकों का भी विभिन्न स्थानान्तरण आदेशों द्वारा नये सिरे से अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जा चुका है। लेकिन ऐसे कतिपय प्रकरणों में विभाग के ध्यान में आया है कि अभी भी माननीय न्यायालय/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से पूर्व में जारी स्थगन की निरन्तरता में संबंधित अपीलार्थी/कार्मिकों को पदस्थापित किया जाकर कार्यरत रखा हुआ है। जबकि इन प्रकरणों में जारी स्थगन / निर्णयों की सूचना निदेशालय को नही दी गई है। जिसके कारण इन प्रकरणों में अपेक्षित पालना कर अग्रिम कार्यवाही नही हो पाई है। इस संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 12.08.2022 द्वारा निर्देशित किया गया था कि अब स्थगन से कार्मिक शेष नही हो, कि सुनिश्चिता की जावे। लेकिन ऐसे स्थगन से कार्यरत होने संबंधी जानकारी निदेशालय को अभी तक भी नही दी गई है।

अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाते हैः-

1 माननीय न्यायालय/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से पूर्व में जारी स्थगन आदेश की पालना में संबंधित अपीलार्थी/कार्मिक अभी भी कार्यरत हैं तो ऐसे प्रकरणों में जारी स्थगन/निर्णयों की अद्यतन सूचना मय पारित आदेशों/निर्णय की प्रतियां व स्वीकृत पद पर कार्यरत कार्मिकों का पूर्ण विवरण निदेशालय को दो दिवस में जरिए ईमेल भिजवाये।

2 कार्मिकों के नवीन स्थानान्तरण आदेश जारी हो जाने के बाद भी जिन प्रकरणों में स्वीकृत पद से अधिक कार्मिक कार्यरत होने पर, पूर्व में अधिशेष कार्यरत कार्मिकों के वेतन भुगतान अन्यत्र स्थान से आहरित करने हेतु निदेशालय से स्वीकृति जारी की गई थी तथा अब नवीन स्थानान्तरण आदेशों के उपरांत स्वीकृत पद के अनुसार ही कार्मिक पदस्थापित रहने पर शेष भुगतान स्वीकृतिया स्वतः ही प्रभाव शून्य मानी जाए। अतः तद्नुसार पदस्थापित कार्मिक का वेतन भुगतान उसी स्थान से किया जाये।

3 विभागीय स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध माननीय न्यायालय/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पूर्व में जारी स्थगन / वादकरण समाप्त हो चुके है/खारिज हो चुके हैं, ऐसे प्रकरणों मे संबंधित कार्मिक को अविलम्ब स्थानान्तरित स्थान के लिए कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

21/9/2022

निदेशक, आई.सी.डी.एस एवं
पंचायती राज (आई.सी.डी.एस) विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(6)( )स्था/NTT/ICDS/18/180430 जयपुर, दिनांकः 22/9/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1 एसीपी (उपनिदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

21/9/22

उपनिदेशक (प्रशासन)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर।

D/court case/letter/496